



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1947 (श10)

(सं0 पटना 1800) पटना, सोमवार, 22 दिसम्बर 2025

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
11 दिसम्बर 2025

सं0 IV/M¹-1-4/2025/7027—भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (प) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सारण (छपरा) में केन्द्रीय विद्यालय, छपरा के भवन निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

11 दिसम्बर 2025

सं0 IV/M¹-1-4/2025/7027 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

The 11th December 2025

No.-IV/M¹-1-4/2025/7027— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the stamp duty, chargeable on registration of lease document related to transfer of 5 acres of

land for construction of Kendriya Vidyalaya, Chapra building at Saran (Chapra) for 30 (Thirty) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

*By the Order of the Governor of Bihar,
Ajay Yadav,
Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1800-571+500-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>